I/424959/2023

अति महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या- 1262/2023-सीएक्स-3

प्रेषक,

योगेश कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह(गोपन)अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांक 08/11/2023**

विषयः पराली (धान की पुआल) एवं अन्य कृषि अपशिष्टों के जलाये जाने के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम हेतु मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के संबध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में कृषि अपशिष्ट / पराली के वृहद रूप से जलाये जाने के कारण निरन्तर वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और मानव जनजीवन पर कुप्रभाव पड़ रहा है। मानव जनजीवन के असामान्य हो जाने के कारण मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे संज्ञान में लिया गया है ।

रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-13029/1985 एम0सी0 मेहता बनाम भारत सरकार व अन्य में दिनांक 07.11.2023 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का मुख्य कार्यात्मक अंश निम्नवत् हैं:-

".....We direct the State Government of Punjab and for that matter to all other States adjacent to Delhi, which are Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh and some parts of Delhi to ensure that crop burning is stopped forthwith and local SHO is made responsible for it under the overall supervision of the DGP and Chief Secretary for the time being. ....."

2. मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में कृषि अपशिष्ट / पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश प्रदान किये जाते हैः-

समस्त अधिकारीगण ग्राम पंचायत स्तर पर प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय स्तर पर बीट कान्सटेबल, ग्राम प्रहरियों, राजस्व कर्मियों तथा ग्राम प्रधानगणों के माध्यम से निरन्तर व क्षण प्रतिक्षण सूचना प्राप्त करते हुए पराली जलाये जाने की घटनाओं को कड़ाई से नियत्रित करेंगे । मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में अक्षरशः सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी परिदृष्य में मा0 न्यायालय के आदेशों की अवेहलना / उल्लंघन की स्थिति उत्पन्न न हो । यदि किसी प्रकार की अन्यथा स्थिति शासन के संज्ञान में आती है तो उक्त के लिए सम्बन्धित थाना के थानाध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होगें ।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पराली जलाने एवं प्रदूषित करने वाले अन्य कारकों पर नियंत्रण हेतु समय-समय पर दिये गये महत्वपूर्ण व आवश्यक निर्देशों को गम्भीरता से लेते हुये पराली जलाने से उत्पन्न समस्याओं के प्रति सजग करने के लिए ग्राम / ग्राम सभाओं / ब्लाक / थाना / तहसील / जनपद स्तर पर विभिन्न चौपाल / गोष्ठियों / किसान दिवसों / समाचार पत्रों व अन्य मीडिया माध्यमों से जन जागरण अभियान लगातार चलाये जायें। पराली जलाये जाने की घटनाओं पर ड्रोन से सतत् निगरानी रखी जाये तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

Signed by योगेश कुमार
Date: 08-11-2023 20:56:49
Reason: Approved

भवदीय,

(योगेश कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ 0 प्र 0 शासन।
(2) कृषि उत्पादन आयुक्त, उ 0 प्र 0 शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ 0 प्र 0 शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ 0 प्र 0 शासन।
(5) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
(6) सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ 0 प्र 0 लखनऊ।
(7) अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ 0 प्र 0, लखनऊ ।

आज्ञा से,

(बृज भूषण सिंह)
उप सचिव।

mail 8/11/23 10:23